

॥ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 186 / दो-06-25 / 14

शिवपुरी, दिनांक:- 29 / 05 / 2021

श्री रामनरेश वर्मा, सहा. ग्रेड-2 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश शिवपुरी का दिनांक 03.05.21 से 08.05.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 300+9 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही / -

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक 21/14/94 / दो-06-25 / 14

शिवपुरी, दिनांक:- 29 / 05 / 2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
2. श्री रामनरेश वर्मा, सहा. ग्रेड-2 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश शिवपुरी का अर्जित अवकाश, इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि अवकाश उपभोग उपरांत कोविड-19 से संबंधित आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के पश्चात ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित होवे।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म.प्र.।

॥ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 182/दो-06-8/10

शिवपुरी,दिनांक:-29/05/2021

श्रीमती सावित्री बाथम, भृत्य नजारत अनुभाग, शिवपुरी का दिनांक 26.04.

21 से 30.04.21 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 251 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक : 8/1493 /दो-06-8/10

शिवपुरी,दिनांक:-29/05/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, शिवपुरी।
2. श्रीमती सावित्री बाथम, भृत्य नजारत अनुभाग, शिवपुरी का अर्जित अवकाश, इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि अवकाश उपभोग उपरांत कोविड-19 से संबंधित आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के पश्चात ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित होवे एवं म.प्र. शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करें।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
✓ शिवपुरी, म.प्र.।

॥ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 187/दो-11-02/05

शिवपुरी,दिनांक:- 29/05/2021

श्री वीरसिंह लोधी, प्रस्तुतकार न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 26.04.21 से 01.05.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 300+9 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक B11492 /दो-11-02/05

शिवपुरी,दिनांक:- 29/05/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी।
2. श्री वीरसिंह लोधी, प्रस्तुतकार न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी का अर्जित अवकाश, इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि अवकाश उपभोग उपरांत कोविड-19 से संबंधित आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के पश्चात ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित होवे।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म.प्र.।

॥ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 185 / दो-06-..... / 21

शिवपुरी, दिनांक:- 29 / 05 / 2021

श्री शैलेन्द्र तेनवार, प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 पिछोर जिला शिवपुरी का दिनांक 26.04.21 से 01.05.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24.04.21 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 03.05.21 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 32 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही / -

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म०प्र०।

पृष्ठां.क्रमांक : ~~185~~ 187 / दो-06-..... / 21

शिवपुरी, दिनांक:- 29 / 05 / 2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 पिछोर जिला शिवपुरी।
2. श्री शैलेन्द्र तेनवार, प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 पिछोर जिला शिवपुरी का अर्जित अवकाश मुख्यालय अनुमति सहित, इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि अवकाश उपभोग उपरांत कोविड-19 से संबंधित आर. टी.पी.सी.आर. टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के पश्चात ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित होवे एवं म.प्र. शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करें।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म.प्र.।

॥ कार्यालय: जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ॥

॥ आदेश ॥

क्रमांक : 181/दो-06-42/18

शिवपुरी,दिनांक:- 29/05/2021

श्रीमती राधा शर्मा, सहा. ग्रेड-3 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश शिवपुरी को म.प्र. शासन वित्त विभाग बल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1/2015/नियम/चार दिनांक 22.08.2015 के पालन में म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम-1977 के नियम-38 (सी) के अंतर्गत, दिनांक 17.04.2021 से 12.10.2021 तक कुल 179 दिवस का संतान पालन अवकाश **(Child Care Leave)** स्वीकृत किया जाता है।

संतान पालन अवकाश अवधि में श्रीमती राधा शर्मा को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

सही/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक 8/1498/दो-06-42/18

शिवपुरी,दिनांक:- 29/05/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
2. श्रीमती राधा शर्मा, सहा. ग्रेड-3 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा अनुभाग/आवक-जावक लिपिक मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी,म.प्र.।

॥ कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म०प्र० ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 179/दो-06-120/19

शिवपुरी,दिनांक- 29/05/2021

डॉ. मुकेश मलिक, अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पिछोर जिला शिवपुरी का कार्या. आदेश क्रमांक 160 दिनांक 09.04.2021 द्वारा दिनांक 22.04.2021 से 28.04.2021 तक कुल 07 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश उनके आवेदन के क्रम में निरस्त किया जाकर उनके अर्जित अवकाश लेखा में जोड़ा जाता है।

सही/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक B/1499/दो-06-120/19

शिवपुरी,दिनांक-29/05/2021

प्रतिलिपि :-

- 1- डॉ. मुकेश मलिक, अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पिछोर जिला शिवपुरी।
- 2- लेखापाल/सांख्यिकी लिपिक जिला मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वास्ते- जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म०प्र०।

॥ कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 188 / दो-06-147 / 2020

शिवपुरी, दिनांक- 29 / 05 / 2021

श्री अजय रामावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शिवपुरी का दिनांक 15.04.2021 से 01.05.2021 कुल 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय रामावत को पुनः प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री अजय रामावत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहते।

श्री रामावत के अर्जित अवकाश लेखा में 149 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही / -

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,


शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक ^{B/1500} / दो-06-147 / 2020

शिवपुरी, दिनांक- 29 / 05 / 2021

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री अजय रामावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शिवपुरी।
- 2- लेखापाल/सांख्यिकी लिपिक जिला मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वास्ते-  जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म0प्र0।